भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 262
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जनगणना प्रपत्र

†262. श्री शत्रुघ्न सिन्हाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने जनगणना प्रपत्र तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या घोषित जनगणना तिथि और बोर्ड परीक्षाएं एक समय पर पड़ सकती हैं, जिसमें बहुत से शिक्षक जो गणनाकार भी बन जाते हैं, उनके पास आधिकारिक बोर्ड कर्तव्य होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य जातियों के नाम तथा उनकी कुल संख्या कितनी है जिन्हें जनगणना में सूचीबद्ध किया जाएगा; और

(घ) क्या जनगणना के लिए जाति बताना वैकल्पिक होगा या नहीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): जनगणना नियम, 1990 के नियम 6 के अनुसार, जनगणना प्रश्नावली/ अनुसूचियां केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाती हैं। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुसूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख): जनगणना के दौरान, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आमतौर पर प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2027 की जनगणना के लिए समय-सीमा पिछली जनगणनाओं की तरह ही रखी गई है ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 262, दिनांक 02.12.2025

(ग) और (घ): जनगणना में, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की गिनती पूरी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची के अनुसार की जाती है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय-समय पर संशोधित) के ज़रिए अधिसूचित किया गया है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के दिनांक 30.04.2025 के निर्णय के अनुसार, जनगणना 2027 के साथ जातियों की गणना भी की जाएगी। जनगणना के प्रश्नों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अधिसूचित किया जाता है। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत, प्रत्यर्थी को अपने सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना होता है।

*****